न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी, रा0 म0 ग्वालियर,
प्रकरण कं.0 /14 निगरानी R 1130-I/14

1– हेदरखां पिता गफुरखां जाति मुसलमान, आयु 56 वर्ष
2– भुरूखां पिता मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान आयु वर्ष,
निवासी ग्राम लिखोदा तह0 बडनगर जिला उज्जैन
–––आवेदकगण

दिनांक 4-4-14 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत/
4-4-14
ASO

विरूद्ध

रसुलखां पिता अब्दुल अजीज जाति मुसलमान आयु 45 वर्ष,
निवासी ग्राम लिखोदा तहसील बडनगर जिला उज्जैन
––अनावेदक

निगरानी आवेदन धारा 50 भू0 रा0 सं0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय,बडनगर
द्वारा प0 कं0 9–अ–70/2011–12 मे पारित
आदेश दिनांक 24/03/2014 से असंतुष्ट एंव क्षुब्ध होकर निगरानी ।

4/4/14

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की और से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1130–एक / 14 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–4–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के आदेश दिनांक 24–3–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार के द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर अंतिम निराकरण अभी किया जाना है अतः तहसीलदार न्यायालय में आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	